माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 70 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2025–26 दिनांक : 18/04/2025

अनुस्मारक–2

तत्काल, आवश्यक, शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय – महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक, प्राचार्य, प्रबन्ध समिति एवं अन्य विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या –1823 प्रशा0 / MSU / 2024–25, दिनांक : 20.02.2025 एवं पत्र संख्या –1905 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2024–25, दिनांक : 16.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 13.22 के आलोक में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य / शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि विश्वविद्यालय में दिनांक : 27.02.2025 तक उपकुलसचिव (सम्बद्धता) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अभी तक उक्त विवरण विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराये गये है। जिस पर मा0 कुलपति महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 13.22 के आलोक में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य / शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि विश्वविद्यालय में दिनांक : 26.04.2025 तक सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त विवरण विश्वविद्यालय में प्रेषित नहीं किया जायेगा उन महाविद्यालयों के सत्र 2025–26 में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं खोले जायेगे। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1513 / 02 / सम्ब0 / एम0एस0यू0 / 2024–25, दिनांक : 28.12.2024 द्वारा गठित समिति के समस्त सदस्य को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण करना सुनिश्चित करें।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. वित्त अधिकारी।
04. उपकुलसचिव।
05. सहायक कुलसचिव(सम्बद्धता) को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति से परीक्षण कराकर संस्तुति प्रवेश समन्वयक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
06. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव